Prasar Bharati प्रसार भारती
India's Public Service Broadcaster भारतीय प्रसारण निगम
High Power Transmitter उच्च शक्ति प्रेषित्र
All India Radio - Malad(W)आकाशवाणी मालाड प
Mumbai – 400 095 मुंबई 95

Tel – 022 28882970/Fax- 022 28886920 | E-mail : hptairmalad@gmail.com

संख्या : – 29(2) 2019-20/जी / 257

दिं. 10.10.2019

टेंडर नोटिस

उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी) कार्यालय एच.पी.टी आकाशवाणी मालवणी मार्वे रोड मलाड प मुंबई –95. के परिसर में जोखिम जगह के अलावा लगभग दो सौ एकर क्षेत्रफल का घास कटौती/निलामी हेतु उच्च श्रेणी के बोली लगानेवाले निविदाकारों से वेब साईड पर आमंत्रित किया जा रहा है ।घास कटौती नियत अवधि **दिं–31–03–2020** तक ही सीमित रहेगी । इससे अधिक अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी । घास कटौती/खरीदी के लिए इच्छुक निविदाकारों से वेब साईड पर आमंत्रित किया जा रहा है ।

कोटेशन के साथ निविदाकारों को **रु. 2000/–(रुपए दो हजार केवल)** की धनराशि बयाना के रुप में जमा करनी होगी, अथवा **रु. 2000/– का डिमांड ड्राफ्ट " प्रसार भारती एचपीटी आकाशवाणी मलाड** के नाम से भेजना होगा । कोटेशन स्वीकृत करने की अंतिम **तारीख 18–10–2019 को दोपहर 3–30** बजे निविदाकारो की उपस्थिति में कोटेशन खोला जाएगा ।

(आर.ए.चोरे)
उप निदेशक (अभि.)
कृते उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी)

निबंधन और शर्तो के लिए पृ सं 2 – देखें ।

निबंधन तथा शर्ते

दिं 31–03–2020 के पूर्व घास काटकर एचपीटी आकाशवाणी ग्राउंड परिसर से बाहर निकालना और घास कटाई अवधि समाप्ति के पश्चात किसी भी व्यक्ति को घास काटने या निकालने हेतु आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

1. ठेकेदार इस बात का ध्यान रखें कि घास कटौती के समय जंगली घास अथवा किसी भी प्रकार का घास अधकटा न छोडे और ना ही काटना शेष रखें ।
2. करार जारी के दौरान उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी) को यह पूर्ण अधिकार है कि उनके इच्छानुसार सड़कमार्ग, रोडसाईड, तथा आवास गृह के आस–पास की जगह में घास कटवाने/साफ–सुथरा रखने का निर्देश दे सकते है, ताकि सांप/जहरीली जंतुओं से राहत मिल सकें, और उन्हे यह भी अधिकार है कि आवासी सुरक्षा/आवास गृह के आस–पास का घास ट्रान्समीटर्स इमारत के आस–पास फीडर सडकमार्ग रोडसाईड में बढते हुए घास को रोकने हेतु कोई अन्य उपाय भी करने का सुझाव दें सकते है ।
3. उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी)के आदेश का उचित एवं कडा अनुपालन हो जिसमें किसी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विधिवत्त हस्तक्षेप न हो । पुलिस सत्यापन के आधार पर इस कार्यालय के सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिन श्रमिको को प्रवेश पत्र जारी किया हो इनके अलावा ठेकेदार किसी भी अनधिकृत/अन्जान व्यक्तियों को आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने न दें ।
4. सरकारी संपत्ती या आकाशवाणी परिसर में संस्थापित संपत्ती को लापरवाही से नुकसान पहुँचाने पर नुकसान भरपाई का निर्धारण उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी) करेंगें ।
5. अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार है कि निबंधन तथा शर्तें के अनुशासन का उल्लंघन करने पर तथा सार्वजनिक सेवाहित में यदि आवश्यकता पडने पर किसी भी वक्त निविदा करार को समाप्त कर सकते हैं । इसीलिए ठेकेदार को इस बात का ध्यान रखना जरुरी है कि निविदा अवधि में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दर्शाए गए निबंधन तथा शर्तों का कडा अनुपालन करें ।
6. किसी भी प्रकार के वाद–विवाद के मामलों में उपमहानिदेश (अभियांत्रिकी) का निर्णय अतिंम रहेगा।
7. घास कटवाने के दौरान यदि किसी मजदूर को कोई भी नुकसान या दुर्घटना होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।यह कार्यालय किसी भी दुर्घटना हेतु जिम्मेदार नहीं रहेंगा।

(आर.ए.चोरे)
उप निदेशक अभि.
कृते उपमहानिदेशक अभियांत्रिकी